सं० 2/2024/95रा0पा0/2024-25-7099/17/2024-सी0एक्स0-7

प्रेषक,

डा0 अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (गोपन) अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 05-09-2024

विषय-वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पुनर्विनियोग द्वारा धनराशि रूपये-58.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी0-3673/जी0एस0, दिनॉक 10 अगस्त, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/10-2024-231/2024, दिनॉक 04 मार्च, 2024 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-029 के लेखाशीर्षक "2012-03-103-03-00-01" वेतन मद (भारित) में हो रही बचत के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रूपये-58.00 (रूपये अट्ठावन लाख मात्र) की व्यवस्था लेखाशीर्षक "2012-03-103-03-00-58" आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन सम्बन्धी बी0एम0-9 प्रपत्र पर वित्त विभाग द्वारा आर0ई0 संख्या-बजट-1-43, दिनॉक 27.08.2024 (प्रति संलग्न) करते हुए सहमति प्रदान कर दी गयी है। अतः आपके उक्त पत्र दिनॉक 10 अगस्त, 2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में लेखाशीर्षक "2012-03-103-03-00-58" आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रूपये-58.00 लाख (रूपये अट्ठावन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1- विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

2- केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 का होगा।

3- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

4- विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

5- विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये-58.00 लाख (रूपये अट्ठावन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष

2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-029 के लेखाशीर्षक-"2012-03-103-03-00 के मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/10-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Anil Kumar Singh
Date: 05-09-2024 13:11:41

(डा0 अनिल कुमार सिंह),
विशेष सचिव।

सं0 2/2024/95रा0पा0/2024-25-7099/17/2024-सी0एक्स0-7 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2- विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

फार्म बी0एग0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृत

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

वित्तीय वर्ष 2024-25

अनुदान संख्याः 029 राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 (धनराशि रूपये लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक 03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक आयोजनेत्तर (भारित)								
029	103-पारिवारिक स्थापना (भारित) 03-कर्मचारी वर्ग 01-वेतन 2012-03-103-03-00-01	01 (वेतन)	371.30 रूपये तीन करोड़ इकहत्तर लाख तीस हजार मात्र	58.00 रूपये अट्ठावन लाख मात्र	58.00 रूपये अट्ठावन लाख मात्र	58.00 रूपये अट्ठावन लाख मात्र	313.30 रूपये तीन करोड़ तेरह लाख तीस हजार मात्र	2024-2025

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (4+6)	वित्तीय वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
029	103-पारिवारिक स्थापना (भारित) 03-कर्मचारी वर्ग 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान 2012-03-103-03-00-58	58 आउट सोर्सिंग	25.00 रूपये पच्चीस लाख मात्र	58.00 रूपये अट्ठावन लाख मात्र	58.00 रूपये अट्ठावन लाख मात्र	83.00 रूपये तिरासी लाख मात्र	2024-2025
	कुल -		25.00	58.00	58.00	83.00	

अतः उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार धनराशि रूपये- **58.00** लाख मात्र के पुनर्विनियोग किये जाने के प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अनुसार सहमति दी जाती हैः-

1- विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

2 - केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 का होगा।

3- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

4- विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

5- विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये-58.00 लाख (रुपये अट्ठावन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-029 के लेखाशीर्षक- "2012-03-103-03-00 के मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/10-2024- 231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by
Anil Kumar Singh
Date: 05-09-2024 15:03:08

नाम व पदनाम- (डा0 अनिल कुमार सिंह),
विशेष सचिव।
प्रशासकीय विभाग- गृह (गोपन) अनुभाग-7

संख्या: आर.ई.-बजट-1-43-ई-12-198-X-2024-25,
दिनांक-27.08.2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

नाम व पदनाम- (एस0 पी0 सिंह)
विभाग- उपसचिव, वित्त विभाग।

संख्या- 95रा0पा0/25-7099/17/2024-सी0एक्स0-7,तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2- विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- गार्ड फाईल।

नाम व पदनाम- (डा0 अनिल कुमार सिंह),
विशेष सचिव।
प्रशासकीय विभाग- गृह (गोपन) अनुभाग-7